



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU -560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1264 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1264

विषय / Sub : नियोप्रीन बेस रबड़ बुश
Neoprene Base Rubber Bush

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फाउंड्री व फोर्ज प्रभाग, बेंगलूरु - 560 017, द्वारा विकसित तथा उत्पादित " नियोप्रीन बेस रबड़ बुश " पार्ट सं. 201सी 656एच 0000 204/एच, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1264, दिनांक 15 मई 2007, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1264 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1264/1ए, दिनांक 19 अप्रैल 2011 द्वारा संशोधन जारी किया गया था। उसी को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1264/1आर, दिनांक 21 अगस्त 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था।

This is to state that the "Neoprene Base Rubber Bush", to the Part No. 201C 656H 0000 204/H, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Foundry & Forge Division, Bengaluru - 560 017, was issued with Type Approval Number: 1264 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1264, dated: 15th May 2007. Subsequently amended vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA -1264/1A, dated: 19th April 2011. The same as renewed vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA - 1264/1R, dated 21st August 2012 and with its validity up to 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्तूबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ व एफ ओ एल), डी आर डी ओ, सेमिलैक, बेंगलूरु- 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st November 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st October 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), DRDO, CEMILAC, DRDO, C/o M/s Hindustan Aeronautics Limited, Foundry and Forge Division, Bengaluru – 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1264, दिनांक 15 मई 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1264, dated: 15th May 2007.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।


All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1264/2R

दिनांक / Date : 25 November 2017

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

18
12
27/11


(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)